संख्या-286/2025/73के-2/22-3-2025-17(134)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनवा पुत्र डालीचरण, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024) दिनांक-07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनवा पुत्र डालीचरण, ग्राम-छिकहरा, थाना-कोतवाली महोबा, जनपद-महोबा का निवासी है। (1) दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 14-12-1978 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों मिलकर बरछी एवं कुदाल से मारकर रूपसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। (2) पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 10-08-2002 को बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मूंगफली के खेत की रखवाली कर रहे मुन्ना उर्फ भगवत प्रसाद की कुल्हाड़ी एवं कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। प्रथम वाद के अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-85/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, हमीरपुर के आदेश दिनांक 03.03.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21-08-2012 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। द्वितीय वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-189/02, 190/02 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364 एवं 25 आर्म्स एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, महोबा के आदेश दिनांक 23.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-24-12-2024 तक बन्दी की आयु 72 वर्ष 09 माह 21 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा शासनादेश संख्या 1558/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया।) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष सिद्धदोष बंदी सुनवा पुत्र डालीचरण की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि प्रथम केस में पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 14.12.1978 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बरछी एवं कुदाल से मारकर रूपसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुनः द्वितीय केस में पूर्व से चली आ रही रंजिश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कारण दिनांक 10.08.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मूंगफली के खेत की रखवाली कर रहे मुन्ना उर्फ भगवत प्रसाद की कट्टे से गोली मारकर एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार बंदी द्वारा दो अलग-अलग केस में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनवा पुत्र डालीचरण को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनवा (बन्दी संख्या-1609/08) पुत्र डालीचरण, निवासी- जनपद-महोबा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-286/2025/73के-2(1)/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-286/2025/73के-2/22-3-2025-17(134)/2025

दिनांक 16 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनवा पुत्र डालीचरण, ग्राम-छिकहरा, थाना-कोतवाली महोबा, जनपद-महोबा का निवासी है। (1) दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 14-12-1978 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों मिलकर बरछी एवं कुदाल से मारकर रूपसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-85/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, हमीरपुर के आदेश दिनांक 03.03.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21-08-2012 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। (2) पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 10-08-2002 को बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मूंगफली के खेत की रखवाली कर रहे मुन्ना उर्फ भगवत प्रसाद की कुल्हाड़ी एवं कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। उकत वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-189/02, 190/02 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364 एवं 25 आर्म्स एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, महोबा के आदेश दिनांक 23.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-24-12-2024 तक बन्दी की आयु 72 वर्ष 09 माह 21 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा शासनादेश संख्या 1558/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया।) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष सिद्धदोष बंदी सुनवा पुत्र डालीचरण की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि प्रथम केस में पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 14.12.1978 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बरछी एवं कुदाल से मारकर रूपसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुनः द्वितीय केस में पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 10.08.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मूंगफली के खेत की रखवाली कर रहे मुन्ना उर्फ भगवत प्रसाद की कट्टे से गोली मारकर एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार बंदी द्वारा दो अलग-अलग केस में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुनवा पुत्र डालीचरण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in